404

संख्या– /XXVIII–5–2015–102/2014

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांक: 22 दिसम्बर 2016

विषयः जनपद चमोली के अन्तर्गत महिला बेस चिकित्सालय, सिमली के निर्माण कार्यों हेतु विस्तृत आगणन के सापेक्ष धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–7प/106/2014/18885, दिनांक 29, अगस्त 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत महिला बेस चिकित्सालय, सिमली के निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन ₹ 1499.15 लाख के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि **₹ 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र)** पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, पौडी इकाई को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित किये जायें।
4. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाये।
5. अनुमोदित योजना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत नियत किये गये लक्ष्यों व उद्देश्यों के कियान्वयन की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा की जाय तथा निर्माण कार्यों की लागत एवं समय वृद्धि किसी भी दशा में न होने पाये, यह सुनिश्चित किया जाय।
6. महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना की निर्धारित अवधि, वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों एवं लक्षित आउटपुट व आउटकम के अनुसार ही प्रगति हो रही है और उसमें कोई विचलन नहीं हो रहा है। योजना की नियमित व आवधिक समीक्षा समय–समय पर कर ली जाय।
7. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्ड पार्टी चैकिंग व्यवस्था नियोजन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी जिसके सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सैन्टेस चार्जेज से ही वहन किया जायेगा।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्यदायी संस्था के साथ

नियमानुसार एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जाय। द्वितीय चरण के निर्माणात्मक कार्यों हेतु विस्तृत आगणन के गठन एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 19.10.2010 के आलोक में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2016–17 की अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, आयोजनागत–00 01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 26–सिमली (चमोली) में बेस चिकित्सालय का निर्माण 24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–222(पी)/XXVII(3)/2015 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 में प्राप्त उनकी सहमति के कम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नः अलॉटमैन्ट आई0डी0 संख्या–S1612120435 की प्रति।

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1239 (1)/ /XXVIII–5–2016–102/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
5. जिलाधिकारी, चमोली।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
8. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, गो0ब0 इंजीनियरिंग कॉलेज, पौडी।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।